सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 365 राँची, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

24 जून, 2025

संख्या-5/आरोप-1-53/2023-31499 (HRMS)--श्री रविन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-241/20), उप नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0-6016, दिनांक 23.09.2021 की अवहेलना करते हुए अधिसूचित पद (कार्यपालक दण्डाधिकारी, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम) पर योगदान नहीं करने, दिनांक 23.09.2021 से 18.10.2023 तक अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण संबंधी आरोप पत्र विभाग द्वारा गठित किया गया ।

श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3573, दिनांक 24.05.2024 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई है। श्री कुमार के पत्रांक-382, दिनांक 06.05.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण में समर्पित मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

1. अंचल अधिकारी, अरगोड़ा के पदस्थापन के दौरान ही इन्हें पेट दर्द एवं उल्टी की समस्या के कारण ईलाज हेतु आलम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, राँची में भर्ती होना पड़ा।

2. स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने के कारण डॉक्टर पी०एन० सिंह, फिजिशियन, राँची से चिकित्सकीय परामर्श पर दिनांक 15.12.2020 से 19.12.2020 तक राज हॉस्पिटल, राँची में ईलाज हेतु भर्ती रहे ।

3. डॉक्टर मजिद आलम, राँची द्वारा बेहतर चिकित्सा हेतु डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, ए०आई०जी० हॉस्पिटल, हैदराबाद रेफर किया गया, जिसके आलोक में श्री कुमार दिनांक 21.12.2020 को उक्त हॉस्पिटल में भर्ती हुए ।

4. उक्त हॉस्पिटल में की गयी चिकित्सकीय जाँच में। Appendicular perforation पाए जाने के पश्चात् शल्य चिकित्सा हेतु 2-3 महीने के पश्चात् आने का परामर्श दिया गया ।

5. इस बीच कोविड-19 के प्रकोप के कारण शल्य चिकित्सा निर्धारित अवधि में नहीं हो सका ।

6. स्वास्थ्य को देखते हुए स्थानीय चिकित्सकों की देखरेख में ईलाजरत रहे और इनकी स्वास्थ्य की परिस्थिति कर्तव्य निर्वहन नहीं होने के कारण अधिसूचित पद पर योगदान नहीं कर पाये ।

7. पूर्व में प्राप्त परामर्श के अनुसार पुनः दिनांक 10.02.2022 से 16.02.2022 तक ए०आई०जी० हॉस्पिटल, हैदराबाद में अन्तः चिकित्सकीय ईलाज हेतु भर्ती हुए ।

8. शल्य चिकित्सा के उपरांत डॉक्टर मजिद आलम, कंसलटेंट सर्जन, आलम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, राँची के पर्यवेक्षण में लगातार चिकित्सा चलती रही।

9. असाधारण शारीरिक कमजोरी एवं स्वास्थ्य की परिस्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने एवं प्राप्त चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार इनके द्वारा अधिसूचित पद (कार्यपालक दण्डाधिकारी, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम) पर योगदान देना संभव नहीं था, जिसकी सूचना अवकाश आवेदन के माध्यम से विभाग को समय-समय पर देता रहे ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि ये स्वास्थ्य संबंधी गंभीर कारणों से कर्तव्य पर उपस्थित होने में असमर्थ थे। श्री कुमार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के कारण कर्तव्य पर उपस्थिति होने की असमर्थता की विधिवत् सूचना विभाग को देते हुए अवकाश स्वीकृति हेतु अभ्यावेदन भी समर्पित किया जा जाता रहा है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री रविन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-241/20), उप नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रविन्द्र कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAVINDRA KUMAR 111001165679	श्री रविन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-241/20), उप नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 365 - 50